न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 98/2022

1. शान्ती पत्नी स्व0 रामचन्द
2. देवेन्द्र
3. योगेन्द्र पिसरान रामचन्द जाति खटीक निवासी ग्राम खण्डेवला तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 15 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादीगण

दिनांक :– 06/10/2023

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 441/0.39 हैक्टर बांके ग्राम आलमपुर तहसील पहाडी में स्थित है। वादीगण के दादा व दादा ससुर भूदर पुत्र तुल्ला आराजी मुतदाविया को आर0टी0 एक्ट के लागू होने से पूर्व ही खातेदार के रूप में काश्त करता चला आ रहा था और उनके मरने के बाद विरासत के आधार पर वादीगण के पिता व पति रामचन्द पुत्र भूदर वाहैसियत खातेदार आराजी मुतदाविया पर कब्जा काश्त था तथा इनके मरने के बाद वादीगण के नाम आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पट्टेदार गैरखातेदार विरासत के आधार पर दर्ज होता चला आ रहा है। मुताबिक कानून वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज होने के हक हासिल हो चुके है। विधि वजह वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे पट्टेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने का अधिकारी है। वादीगण ने यह दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया है जिसके प्रतिनिधी तहसीलदार पहाडी है। कानूनन

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार को दो माह का म्यादी नोटिस दिया जाना आवश्यक था लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम पट्टेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 23/10/2019 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि आराजी वादीगण के बुजुर्गान की आराजी है। सम्वत 2011 से पूर्व से ही इनके दादा /ससुर भूदर के नाम पट्टेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होता चला आ रहा है। वादीगण के दादा /ससुर भूदर बतौर खातेदार के रूप में कब्जा काश्त करता चला आ रहा था तथा उसका जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2034 तक लगातार पट्टेदार तथा सम्वत 2035 से 2038 में पट्टेदार खातेदार दर्ज है और सम्वत 2056 लगायत 2059 के मध्य भूदर के फौत होने के बाद वादीगण के पिता /पति रामचन्द का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और रामचन्द के फौत होने के बाद विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम विरासत के आधार पर दाखिल खारिज दर्ज किया गया और नकल खसरा गिरदावरी में सम्वत 2009 से 2012 से लगातार पट्टेदार खातेदार दर्ज होता चला आ रहा है उक्त रिकॉर्ड के आधार पर आराजी हिन्दू मिल्कियत साबित है। मुताबिक़ कानून वादीगण को मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी दिया जाना आवश्यक है। आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। आराजी कस्टोडियन नही है एवं धारा 16 के तहत नहीं आती है एवं आराजी पर वादीगण फसल बोते है। अतः वादीगण को विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी खसरा नम्बर 441/0.39 हैक्टर बांके ग्राम आलमपुर पर वादीगण अपने बुजुर्गान के समय से ही कब्जा व काश्त है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया वादीगण के दादा/ससुर सम्वत 2011 से ही रिकॉर्ड में है इसलिए आराजी हिन्दू मिल्कियत की है।

3:– दादरसी :– .....वादीगण

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 शान्ति, पी0डब्लू0 2 मबासी, पी0डब्लू0 3 सुन्दर सिंह, पी0डब्लू0 4 करन सिंह के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2011, 2015 लगायत 2018, 2019 लगायत 2022, 2023 लगायत 2026, 2027 लगायत 2030, 2031 लगायत 2034, 2035 लगायत 2038, 2039 लगायत 2042, 2048 लगायत 2051, 2052 लगायत 2055, 2056 लगायत 2059, व हाल जमाबन्दी सम्वत 2068 लगायत 2071 तथा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 लगायत 2012 , 2013 लगायत 2016 , 2016 लगायत 2019, 2024 लगायत 2027, 2028 लगायत 2031, 2036 लगायत 2039, 2040 लगायत 2043, 2044 लगायत 2047, 2048 लगायत 2051, 2052 लगायत 2055, 2056 लगायत 2059, पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी खसरा नम्बर 441/0.39 हैक्टर बांके ग्राम आलमपुर पर वादीगण अपने बुजुर्गान के समय से ही कब्जा व काश्त है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड अनुसार आराजी पूर्व में वादीगण के बुजुर्गान की कब्जे काश्त की आराजी रही है। उसके उपरान्त वादीगण उक्त आराजी पर पट्टेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पहाडी के जबाब के मुताबिक आराजी वादीगण के बुजुर्गान की पट्टेदार की आराजी थी। वादीगण अपने बुजुर्गान के समय से ही कब्जा व काश्त है। ऐसी स्थिति उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया वादीगण के दादा/ससुर सम्वत 2011 से ही रिकॉर्ड में है इसलिए आराजी हिन्दू मिल्कियत की है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक वादीगण के दादा /ससुर सम्वत 2011 से ही रिकॉर्ड में है और आराजी मुताबिक रिकॉर्ड हिन्दू मिल्कियत की है। अतः यह तनकी भी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा 441/0.39 हैक्टर बांके ग्राम आलमपुर तहसील पहाडी पर पट्टेदार के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे पट्टेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/10/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner